उत्तराखण्ड शासन

लघु सिंचाई अनुभाग

संख्या 489/ II –2016–01(22)/2004 टी.सी.

देहरादून दिनांक 12 मई, 2016

कार्यालय ज्ञाप

लघु सिंचाई विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ताओं की पारस्परिक ज्येष्ठता के निर्धारण हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण की नैनीताल बैंच में दायर वाद याचिका संख्या 12/एन.बी./डी.बी./2015 के0एस0 कन्याल व अन्य बनाम राज्य व अन्य में मा0 अधिकरण की युगल पीठ द्वारा दिनांक 03–11–2015 को आदेश पारित किया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत उद्धरित है:–

The claim petition is allowed.The final seniority list dated 24-09-2014 drawn by the respondent No-1 is hereby quashed to the above extent. The respondent No.1 is directed to redraw the seniority list of the petitioners vis-a-vis private respondents, Assistant Engineers in accordance with Rule 8 of the Uttarakhand Govt. Servants Seniority Rules, 2002 and Rule 22 of the Minor irrigation Service Rules, 2006 and as discussed above treating private respondents had been appointed in the recruitment yeat 2010-11 within four months from the date of presentation of the order to the respondent No.1. No order as to costs.

2– इस सम्बन्ध में उचित समझा गया कि मा0 लोक सेवा अधिकरण के उक्त आदेश के आलोक में अग्रिम कार्यवाही सम्पादित करने से पूर्व दोनों पक्षों की सुनवाई भी कर ली जाय। अतः दोनों पक्षों को पत्र संख्या 438/II–2013–01(22)/2004 टी.सी. दिनांक 28 अप्रैल 2016 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में दिनांक 4 मई, 2016 को सुनवाई हेतु आमंत्रित किया गया। दोनों पक्ष उपरोक्त तिथि को समय 5.00 बजे उपस्थित हुए थे । उभय पक्षों के तर्क सुने गये एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

3. उल्लेखनीय है कि मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा वाद संख्या 12/एन.बी./डी.बी./2015 के0एस0कन्याल व अन्य बनाम राज्य व अन्य में अपने आदेश दिनांक 03–11–2015 में यह माना गया कि पदोन्नत सहायक अभियन्ता एवं सीधी भर्ती के अभियन्ता का चयन वर्ष 2010–11 है। इसको आधार मानते हुये आदेशित किया गया कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम–8 और उत्तराखण्ड अभियन्ता सेवा लघु सिंचाई विभाग

शेष

मु0अ0एवं विभा0
लघु सिंचाई विभाग

13/5/16

नियमावली, 2006 के नियम–22 के प्राविधानानुसार संशोधित ज्येष्ठता सूची का पुनर्निधारण किया जाये।

4 मा0 लोक सेवा अधिकरण के आदेश दिनांक 03–11–2015 के आलोक में तथा पत्रावली के परिशीलन एवं दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरान्त यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्येष्ठता सूची के पुनर्निधारण करने के लिये उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 के नियम–8 तथा उत्तराखण्ड अभियन्ता सेवा लघु सिंचाई नियमावली 2006 के नियम–22 को समग्रता से पढ़ा एवं समझा जाये ताकि सम्यक रूप से यह निश्चित किया जाये कि इन दोनों नियमों के किस उप प्रस्तर के आलोक में इस प्रकरण का निस्तारण किया जाये।

5. उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम–8(1) में उल्लिखित है "जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां पदोन्नति व सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हो, वहॉ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उप नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी" ।

6. उप नियम–8(3) में यह उल्लिखित किया गया है कि "जहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियां पदोन्नति एवं सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जायं, वहॉ पदोन्नत व्यक्तियों की, सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में ज्येष्ठता, जहां तक हो सके दोनों स्रोतों के लिये विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जायेगी । यहां एक चयन का आशय एक चयन वर्ष से है ।

7. उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम–8 (1) में कार्मिकों के एक चयन वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया है बल्कि नियम 8(3) में इसका उल्लेख भी किया गया है तथा यह भी उल्लेख किया गया है कि जहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों से की जाये वहां पदोन्नति व्यक्ति की सीधी भर्ती के व्यक्तियों के सम्बन्ध में ज्येष्ठता जहां तक हो सके दोनों स्रोतों के लिये विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जायेगी।

8. इसी प्रकार उत्तराखण्ड अभियन्ता सेवा लघु सिंचाई विभाग नियमावली, 2006 के नियम–22 को मा0 लोक सेवा अधिकरण के आदेश के आलोक में अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि नियम–22 (4) के अनुसार कार्यवाही किया जाना उचित है। नियम–22(4) में उल्लिखित है कि जहां नियुक्ति पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक स्रोत द्वारा की जाती है और स्रोतों का पृथक–पृथक कोटा विहित है, तो परस्पर ज्येष्ठता नियम–17 के

अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय क्रम में इस प्रकार क्रमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे।

9. इसके क्रम में उक्त नियमावली, 2006 के नियम–17 में यह उल्लिखित है कि यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाती है तो एक संयुक्त सूची, सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम इस प्रकार लेकर तैयार की जायेगी कि नियम–5 के अधीन विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

10. उक्त नियमावली के नियम–5 (1) में सहायक अभियन्ताओं के पदों पर भर्ती के प्रतिशत का उल्लेख किया गया है जिसमें 40.67 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से, 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा एवं 9.33 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं में से जो सिविल या यांत्रिक या कृषि अभियत्रण में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि रखते हो या इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया), (यांत्रिक या सिविल ब्रॉच) के एसोसिएट मेम्बर हो जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को अब कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के किसी वर्ष में पदोन्नति द्वारा भर्ती को इस प्रकार विनियमित कर सकता है कि पदोन्नति के लिये विहित प्रतिशत बना रहे।

11– उक्त सुनवाई दिनांक : 04.05.2016 में कतिपय सहायक अभियन्ताओं द्वारा यह अवगत कराया गया कि सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा–2007 के आधार पर लोक सेवा आयोग, हरिद्वार की संस्तुति के क्रम में उनके द्वारा पेयजल एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में पूर्व में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया था, परन्तु लोक सेवा आयोग द्वारा पत्र दिनांक : 01.08.2013 के माध्यम से पुनरीक्षित श्रेष्ठता सूची के क्रम में उनके द्वारा लघु सिंचाई विभाग में वर्ष 2013 में योगदान किया गया। उक्त अभियन्ताओं द्वारा यह अनुरोध किया गया कि उनके द्वारा पूर्ववर्ती विभागों में मौलिक नियुक्ति की तिथि से लघु सिंचाई विभाग में वरिष्ठता प्रदान की जाय। उक्त के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि उक्त अभियन्ताओं के लघु सिंचाई विभाग में मौलिक नियुक्ति आदेश की तिथि से वरिष्ठता दी जाय, न कि उस तिथि से जब वे लघु सिंचाई विभाग में नियुक्त ही नहीं हुए थे।

अतः मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा याचिका संख्या 12/एन.बी./डी.बी./2015 के0एस0 कन्याल व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03–11–2015 एवं याचीगण एवं प्रतिपक्षीगणों की सुनवाई दिनांक 04–05–2016 एवं पत्रावली

आगे

के परिशीलन के उपरान्त सहायक अभियन्ताओं की पूर्व निर्गत अन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 24–09–2014 को निरस्त करते हुए उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम–8(3) एवं उत्तराखण्ड अभियन्ता सेवा लघु सिंचाई विभाग नियमावली, 2006 के नियम–22(4) के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ताओं की अन्तिम ज्येष्ठता सूची अनुलग्नक–1 के अनुसार पुनर्निधारित की जाती है।

संलग्नक–यथोक्त।

12/05/16
(आनन्द बर्द्धन)
सचिव।

संख्या 1.89/ II –2016–01(22)/2004 टी.सी. तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता एंव विभागाध्यक्ष लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, पौड़ी/हल्द्वानी/ टिहरी/पिथौरागढ।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. संबन्धित सहायक अभियन्तागण द्वारा मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(रणवीर सिंह चौहान)
अपर सचिव।

(10)

कार्यालय ज्ञाप संख्या–429/ II–2016–01(2)/2004 टी0सी0
दिनांक 17 मई, 2016 का अनुलग्नक–1

सहायक अभियन्ताओं की अन्तिम ज्येष्ठता सूची

क्र0 सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	नाम	प्राविधिक योग्यता	जन्मतिथिं	प्रोन्नत/ सीधी भर्ती	शासन द्वारा नियुक्ति की तिथि	अभ्युक्ति
1	33	श्री किशन सिंह रावत	डि0सि0इंजी0	01.09.1956	प्रोन्नत	17.09.2010	–
2	34	श्री निर्मल कुमार पन्त	डि0सि0इंजी0	07.07.1952	प्रोन्नत	17.09.2010	दि0 20.01.2012 को आकस्मिक मृत्यु
3	35	श्री कुलानन्द नौटियाल	डि0सि0इंजी0	28.09.1955	प्रोन्नत	17.09.2010	दि0 30.09.2015 को सेवानिवृत्त
4	36	श्री कृष्ण सिंह कन्याल	कृषि अभि0	26.10.1973	सीधी भर्ती	17.06.2011	–
5	37	श्री सुंधाकर कुमार चक्रवर्ती	कृषि अभि0	08.05.1976	सीधी भर्ती	17.06.2011	–
6	38	श्री वी0एम0लखेड़ा	डि0सि0इंजी0	15.05.1958	प्रोन्नत	17.09.2010	–
7	39	श्री टी0एस0नेगी	डि0सि0इंजी0	12.09.1955	प्रोन्नत	17.09.2010	दि0 30.09.2015 को सेवानिवृत्त
8	40	श्री एस0के0 भटट	डि0सि0इंजी0	01.07.1956	प्रोन्नत	17.09.2010	–
9	41	श्री प्रशान्त कुमार	कृषि अभि0	10.09.1975	सीधी भर्ती	17.06.2011	
10	42	श्री अभिषेक खोलिया	सिविल अभि0	15.11.1972	सीधी भर्ती	29.06.2011	
11	43	श्री एम00एस0परसोला	डि0सि0इंजी0	08.03.1957	प्रोन्नत	17.09.2010	–
12	44	श्री डी0एन0सिंह	डि0मैके0इंजी0	01.07.1953	प्रोन्नत	17.09.2010	दि0 30.06.2013 को सेवानिवृत्त
13	45	श्री ए0के0श्रीवास्तव	डि0कृषिइंजी0	01.07.1956	प्रोन्नत	17.09.2010	–
14	46	श्री दीपांकर भारती	सिविल अभि0	23.12.1981	सीधी भर्ती	29.06.2011	
15	47	श्री एल0पी0बडोनी	डि0मैके0इंजी0	06.10.1957	प्रोन्नत	14.01.2011	–
16	48	श्री नरेश कुमार	डि0कृषिइंजी0	01.05.1963	प्रोन्नत	14.01.2011	–

(11)

17	49	श्री गोबर्द्धन सिंह	डि0कृषिइंजी0	05.11.1975	प्रोन्नत	14.01.2011	–
18	50	श्री भरत राम	डि0मैके0इंजी0	20.04.1975	प्रोन्नत	15.06.2011	–
19	51	श्री मुकेश दत्त	कृषि अभि0	20.12.1978	सीधी भर्ती	20.07.2011	–
20	52	श्री विमल कुमार सूठा	सिविल अभि0	29.09.1980	सीधी भर्ती	25.08.2011	–
21	53	श्री ललित कुमार पाण्डे	डि0मैके0इंजी0	06.04.1955	प्रोन्नत	28.01.2013	दि0 30.04.2015 को सेवानिवृत्त
22	54	श्री कृष्ण अवतार शर्मा	डि0मैके0इंजी0	01.01.1956	प्रोन्नत	28.01.2013	–
23	55	श्री ए0के0भारद्वाज	डि0सि0इंजी0	13.11.1959	प्रोन्नत	28.01.2013	–
24	56	श्री राजीव मिश्रा	कृषि अभि0	01.07.1975	सीधी भर्ती	28.01.2013	पुनरीक्षित नियुक्ति
25	57	श्री धीरज कुमार	कृषि अभि0	15.12.1975	सीधी भर्ती	28.01.2013	पुनरीक्षित नियुक्ति
26	58	श्री गुरूदेव सिंह	बी0टैक सिविल	10.03.1964	प्रोन्नत	28.01.2013	–
27	59	श्री बी0डी0बेंजवाल	बी0टैक सिविल	23.03.1965	प्रोन्नत	28.01.2013	–
28	60	श्री मातवर सिंह फरस्वाण	बी0टैक सिविल	09.01.1966	प्रोन्नत	28.01.2013	–
29	61	श्री सुशील कुमार	यान्त्रिक अभि0	05.09.1978	सीधी भर्ती	28.01.2013	पुनरीक्षित नियुक्ति
30	62	श्री भरत प्रकाश सिंह	यान्त्रिक अभि0	14.04.1979	सीधी भर्ती	06.02.2013	पुनरीक्षित नियुक्ति
31	63	श्री दिनेशचन्द्र मिश्र	बी0टैक मैके0	15.04.1974	प्रोन्नत	28.01.2013	
32	64	श्री मदन मोहन शर्मा	सिविल अभि0	05.04.1981	सीधी भर्ती	06.02.2013	पुनरीक्षित नियुक्ति
33	65	श्री बजरंग बहादुर सिंह	डि0कृषिइंजी0	01.07.1958	प्रोन्नत	27.05.2014	–

(आनन्द बर्द्धन)
सचिव।